उत्तराखंड की खनन नीति दूसरे राज्यों के लिए नजीर

राज्य ब्यूरो, जागरण • देहरादून : खनन गतिविधियों की निगरानी, पारदर्शिता और राजस्व नियंत्रण के लिए उत्तराखंड में लागू खनन नीति और ई-चेक गेट प्रणाली दूसरे राज्यों के लिए नजीर बन रही है। यही कारण है कि अब छत्तीसगढ़ के खनन विभाग ने उत्तराखंड की इस व्यवस्था का अध्ययन शुरू किया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ से तीन सदस्यीय अधिकारियों का दल देहरादून पहुंचा और भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय में अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की। इससे पूर्व उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर का प्रतिनिधिमंडल भी यहां आकर इनका अध्ययन कर चुका है।

कैसे काम करता है ई-गेट

ई-चेक गेट पर लगे कैमरे और आटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर वहां से गुजरने वाले वाहनों का विवरण दर्ज करते हैं। इससे वाहन के पास वैध परिवहन अनुमति, ई-रवन्ना या रायल्टी भुगतान है या नहीं, इसकी जांच की जाती है। नियम उल्लंघन या बिना परमिट मिलने पर अलर्ट या जुर्माने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। स्वचालित जांच व्यवस्था होने से मैनुअल जांच में होने वाली ढिलाई, मिलीभगत और भ्रष्टाचार की आशंका भी कम होती है।

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय में सोमवार को छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधिमंडल ने निदेशक राजपाल लेघा से मुलाकात की। इस दौरान दल ने उत्तराखंड की खनन नीति, नियमावली और एमडीटीएसएस योजना के अंतर्गत स्थापित ई-चेक गेट प्रणाली की कार्यप्रणाली एवं उपलब्धियों की जानकारी ली। अधिकारियों ने प्रदेश में स्थापित ई-चेक गेटों का स्थलीय निरीक्षण कर तकनीकी और संचालन संबंधी पहलुओं को भी समझा। खनन निदेशालय ने प्रदेश में 45 ई-गेट लगाए हैं। जिनके माध्यम से अवैध खनन पर नजर रखी जा रही है।

छत्तीसगढ़ के इस दौरे को अहम माना जा रहा है क्योंकि वहां का खनन राजस्व उत्तराखंड के राजस्व से तकरीबन दस गुना अधिक है। उत्तराखंड में खनन से इस वर्ष 1200 करोड़ का राजस्व मिला है तो वहीं छत्तीसगढ़ में खनन से 15,000 करोड़ रुपये राजस्व मिलता है।